न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–39/2014/भीलवाड़ा (2014/00041)

1. कमाल खां पुत्र हुसैन खां, जाति मुसलमान, निवासी कानजी का खेड़ा, तह. करेड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. बरकत खां पुत्र अमीर खां, जाति मुसलमान, नि0 कानजी का खेड़ा, तह0 करेड़ा, जिला भीलवाड़ा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, करेड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, माण्डल दिनांक 20.5.2014 अंतर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 297/2014.

उपस्थितः–

1. श्री मदनलाल, वकील अपीलांट ।
2. श्री खुर्शीद अनवर, वकील रेस्पो0 संख्या .

निर्णय

दिनांक :– 17.5.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, माण्डल (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.5.2014 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के न्यायालय में अपीलांट के विरूद्ध अंतर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी वाके ग्राम गोरख्या पटवारी हल्का गोरख्या, तह0 करेड़ा की खाता संख्या 383 में आराजी खसरा संख्या 4565/4379 रकबा 3 बीघा अवस्थित है, जो रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी की आराजी है तथा कई बार सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करने के लिये कहा परन्तु अपीलांट ने पत्थरगढ़ी करने से इंकार कर दिया । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करावे । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, माण्डल ने अपने आदेश दिनांक 25.4.2014

द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट के उपस्थित होने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी/अपीलांट को नोटिस दिये बिना विधिक प्रक्रिया का उल्लघंन कर स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 का आदेश साइक्लोस्टाईल होने तथा नॉन–स्पीकिंग आदेश होने से आदेश की परिभाषा में नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 एवं 128 भू–राजस्व अधि0 के तहत प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये बिन्दुओं पर विवेचन व विश्लेषण किये बिना रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित आराजी खसरा संख्या 4565/4379 रकबा 3 बीघा आराजी में रेस्पो0 का स्वामित्व बताकर उक्त आराजी के चारों दिशा के पड़ौसी अपीलांट है तथा उक्त आराजियात के मध्य सीमा संबंधी चिन्ह नहीं होने से फसल व घास लेते समय विवाद बना रहता है लेकिन इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रभावित पक्षकार को सुने बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 को विवादित आराजी बाबत् दोनों पक्षों की मौजूदगी में मौके की भौतिक जांच करवाकर मौका रिपोर्ट प्राप्त कर आदेश पारित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 का आदेश एकतरफा में पारित आदेश है विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 20.5.2014 अपास्त किया जावे । xx

4- विद्वान वकील रेस्पोडेट संख्या 1 ने लिखित एवं जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित आराजी खसरा संख्या 4565/4379 रकबा 3 बीघा रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी आराजी है तथा उक्त आराजी के चारो दिशा में पडौसी होने के इस कारण आये दिन सीमा को लेकर विवाद होता रहता है । अधी0न्याया0 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदार आराजी बाबत् सीमाज्ञान करके ही पत्थरगढ़ी के आदेश बोर्ड गठित करके दिये गये है । रेस्पो0 संख्या 1 अपनी खातेदारी आराजी का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है । अपीलांट अधी0न्याया0 के आदेश से किस प्रकार पीड़ित है यह दस्तावेजी साक्ष्यों से सिद्ध नहीं किया है । अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे ।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 की बहस पर मनन किया । अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट को बिना नोटिस दिये एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित किया है । इस संबंध में अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यद्यपि अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की दिनांक 20.5.2014 को ही अप्रार्थी/अपीलांट को नोटिस दिये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निश्चित रूप से विधिक प्रक्रिया का उल्लघंन है किन्तु अपीलांट अपील मीमों एवं बहस में दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.5.2014 से अपीलांट के किस प्रकार हक प्रभावित हुए है । पत्रावली के अवालेकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 4565/4379 रकबा 3 बीघा का खातेदार रेस्पो0 संख्या 1 है तथा सीमा विवाद होने की स्थिति में खातेदार अपनी खातेदारी आराजी का सीमाज्ञान तथा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है । अधी0न्याया0 के अपीलाधीन आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन होना तथा सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी गलत होना अपीलांट ने साबित नहीं किया है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है ।

6- अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, माण्उल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.5.2014 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 39/2014 (2014/00041) बउनवानी कमाल खां बनाम बरकत खां को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, माण्डल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 297/14 बउनवान बरकत बनाम कमाल खां में पारित आदेश दिनांक 20.5.2014 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 17.5.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर